

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

शैलो / मध्यम गहराई के नलकूप, पम्पसेट हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

शैलो / मध्यम गहराई के नलकूप हेतु आवेदन

☐

पम्पसेट हेतु आवेदन

☐

आवेदन सं०

दिनांक-

वित्तीय वर्ष

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1 किसान का नाम

2 पिता / पति का नाम

3 ग्राम

4 कृषक श्रेणी

अनुसूचित जाति ()

अनुसूचित जनजाति ()

पिछड़ी जाति ()

अल्प सख्यक ()

महिला ()

सामान्य जाति ()

5 उम्र

6 जिस प्लॉट पर ट्यूबवेल लगाया जाना है, उसकी विवरणी

मौजा

खाता न०

प्लॉट न०

रकबा(एकड़)

7 भू-धारकता के साक्ष्य के रूप में भू-धारकता प्रमाण पत्र / भू-लगान रसीद (अद्यतन) की प्रति संलग्न।

8 मेरे नाम से बैंक ब्रांच में बचत खाता है जिसका नम्बर एवं आई0एफ0सी0 कोड न० है।

मैं स्वीकृति पत्र मिलने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर ट्यूबवेल गाड़ने का कार्य प्रारम्भ कर दूँगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचना मेरी जानकारी में सही है एवं संलग्न किये गये जमीन सम्बन्धी कागजात की छाया प्रति अनुलग्नक के रूप में मेरे द्वारा दिये गये हैं। मेरे स्वयं के नाम से उपर कड़िका 6 में अंकित भू-खंड में एकड़ कृषि योग्य भूमि है। आवेदित नलकूप के लिये किसी अन्य सस्था से वित्तीय सहायता नहीं ली गयी है तथा उस भू-खंड पर पहले से कोई बोरिंग नहीं है। मैं अपनी देख रख में नलकूप का अधिष्ठापन कराऊँगा तथा इसमें लगने वाले सामाग्रीयो के लिये निर्धारित मापदंड के अनुरूप उपयोग करूँगा। अनुदान पर प्राप्त किये गये ट्यूबवेल / पम्पसेट को न स्थानान्तरित करूँगा तथा न ही बचूँगा, सिर्फ अपने उपयोग में लाऊँगा। यदि कोई गलती पायी गयी, तो जिला कृषि पदाधिकारी का अधिकार होगा कि वे भुगतान की गयी अनुदान की कुल राशि ब्याज सहित एक मुस्त में वसूल कर लेंगे।

किसान का हस्ताक्षर /
अगूँठे का निशान

कृषि समन्वयक / कृषक सलाहकार / त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि की अनुशंसा में उपर्युक्त किसान को जानता हूँ। ये अपने गाँव में रहकर खेती करते हैं।

अनुशंसा करनेवाले का पदनाम एवं
हस्ताक्षर

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती पिता का नाम ग्राम
..... जिला से ट्यूबवेल / पम्पसेट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन
प्राप्ति का क्रमांक- दिनांक है।

प्राप्त करनेवाले कर्मि का नाम /
पदनाम एवं हस्ताक्षर

R-1